



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

45AD 379117

भारत लाम्प ५०० पा

एकल लक ३३७ १९९४ के नाम निगम

उप निगम
लाम्प
कलेक्टर मन्त्र

01/2014 -

01/2014

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100



सत्यमेव जयते

HUNDRED RUPEES

20 JAN 2014

को-7403

भारत INDIA

INDIA NON JUD



को-7403
बहुधर्मिता
सुरहुरपुर
26-1-2014

BS 891526

प्रदेश UTTAR PRADESH

बाबू भगवान सिंह मेमोरियल ट्रस्ट तिघरा अ० न०

यास विलेख (Instrument of Trust)

यह न्यास विलेख आज दिनांक 25.01.2014 को ग्राम- गोपरीचौदपुर, पोस्ट- तिघरा, परगना सुरहुरपुर तहसील- जलालपुर, जिला- अम्बेडकर नगर(उ० प्र०) में वरुणेंद्र प्रताप सिंह पुत्र स्व० अम्बिका प्रसाद सिंह ग्राम- गोपरीचौदपुर, पोस्ट- तिघरा, परगना सुरहुरपुर तहसील- जलालपुर, जिला- अम्बेडकर नगर (उ० प्र०) द्वारा घोषित किया गया । जिसे न्यासकर्ता / संस्थापक कहा जायेगा क्योंकि न्यासकर्ता संस्थापक पर रुपया 5000 / (पांच हजार रुपये मात्र) की राशि है । जिसे की वह पुरुषार्थ सामाजिक कार्य हेतु दान देने की इच्छा करते हैं । न्यासकर्ता / संस्थापक उक्त राशि का अप्रति सहयोगी रूप में दान हेतु इच्छुक है जो कि समाज उत्थान एवं विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा क्योंकि यह ट्रस्ट बाबू भगवान सिंह मेमोरियल ट्रस्ट तिघरा अ० न० के नाम जाना लियेगा तथा कार्य करेगा , जिसे की आगे सम्बन्धित ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा । क्योंकि ट्रस्ट का न्यासकर्ता मैनेजिंग ट्रस्टी होगा जिसे की आगे ट्रस्ट का कार्य कहा जा सकेगा न्यासकर्ता / संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न श्रोतों से दान अथवा ऋण आदि भी सम्मिलित है जिसके द्वारा ट्रस्ट के कोष संपदा एवं साधनों को और बढाये ताकि उक्त अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सकल हो सके और न्यासकर्ता / संस्थापक ने अपनी इच्छा को ट्रस्ट 5000 / -रु० पांच हजार) की नगद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है ।

और क्योंकि वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय ग्राम- गोपरीचौदपुर, पोस्ट- तिघरा, परगना सुरहुरपुर तहसील- जलालपुर, जिला- अम्बेडकर नगर(उ० प्र०) रहेगा एवं प्रशासनिक कार्यालय ग्राम-गोपरीचौदपुर, पोस्ट- तिघरा, परगना सुरहुरपुर तहसील- जलालपुर, जिला- अम्बेडकर नगर (उ० प्र०)

कभरा:.....2

वरुणेंद्र प्रताप सिंह

यह दस्तावेज बनने वाला है
शहरीकरण करने वाला.....
कर्मचारी

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100



सत्यमेव जयते

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL



BS 891525

राज्य उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(2)

अधिक सुविधा जनक स्थान मिलने पर इस कार्यालय का समयानुसार समय-समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा। क्योंकि न्यासकर्ता / ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों के पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धाराबद्ध घोषित किया जा सकता है।

बाबू भगवान सिंह मेमोरियल ट्रस्ट तिघरा अ० न०
(इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)

उद्देश्य एवं नियमावली -

- ट्रस्ट के उद्देश्य - ट्रस्ट निम्न उद्देश्यों के पूर्ति के लिए कार्य करेगा।
- बिना लिंग भेद किये सबके लिए प्राथमिक पाठशाला, जूनियर हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज, महाविद्यालय, पी०जी० कालेज, बी०एड०, बी०पी०एड०, बी०टी०सी, पुस्तकालयों, वाचनालयों प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों, अनुसंधान केन्द्रों, छात्रावासों, कम्प्यूटर केन्द्रों, निराश्रित केन्द्रों, सर्वेक्षण केन्द्र, सामुदायिक विकास केन्द्रों, पर्यावरण, एड्स उत्थान केन्द्रों की स्थापना करना, नामकरण विकास, सम्बद्ध आबद्ध, प्रबन्ध संचालन आदि कर सकता तथा आवश्यकता होने पर विभिन्न परिषदों विभागों प्रतिष्ठानों, संस्थाओं शासन आदि से उन मान्य सम्बद्ध आबद्ध पंजीकृत, अनुमोदित स्वीकृत करा सकना।
- ग्राम विकास अभिकरण गतिविधियों का संचालन करना।
- खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की योजनाओं का संचालन करना।
- कृषि कार्य हेतु बंजर भूमि का सुधार एवं कटाव रोक कर जल संरक्षा एवं नदी संरक्षण करना।
- उद्यानीकरण एवं जंगलात का विकास करना।
- महिला एवं बाल विकास, एवं स्वास्थ्य सहयोग हेतु विविध कार्यक्रम का संचालन करना।
- प्रतियोगात्मक परीक्षाओं की तैयारी हेतु संस्थाओं की स्थापना करना।
- कृषि संगीत सम्बन्धित आदि विषयों की शिक्षा तथा उसके विकास हेतु संस्थान की स्थापना करना।

कमरा:.....3

वरुणेन्दु प्रताप सिंह

मो० अन्वर अन्सारी पकने वाला...
शरीरकुजमा मुनने दत्त...
उपनिबन्ध...

रुप बाका
मुद्रने बाका
विशेष

Handwritten notes in the top left margin.

Handwritten notes in the middle left margin.

Handwritten notes in the lower middle left margin.

Handwritten note: (1) मुद्रात्मक

Handwritten note: २३५५५५५५

भारतीय गैर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 433196

-3-

- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
 - 9
 - 10
 - 11
 - 12
 - 13
 - 14
 - 15
 - 16
 - 17
 - 18
- केन्द्र सरकार के सभी विभागों मानव संसाधन ,समाज कल्याण ,नाबार्ड ,कपार्ट ,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय,समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड,महिला कल्याण,नेहरु युवा केन्द्र,खेलकूद युवा कल्याण मंत्रालय,ग्राम विकास मंत्रालय आदि सभी विभागों के कार्यक्रमों का संचालन करना आई0आई0टी0,आई0टी0आई,फार्मैसी,नर्स ट्रेनिंग,आपरेशन ,टेक्निशियन,लैब टेक्निशियन ,फिजीयों थैरेपी आदि मेडिकल कालेजों एवं इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना एवं संचालन करना । समाज के लोगों के लिए हास्पिटल नर्सिंग होम स्वास्थ्य केन्द्र ,मेडिकल स्टोर ,जनरल स्टोर ,किराना की दुकान फोटो स्टेट,टाइपिंग ,कम्पनी फर्म इत्यादि की व्यवस्था करना । पुस्तकालय वाचनालय पत्र-पत्रिकाओं समाचार पत्रों इत्यादि का प्रकाशन मुद्रण ,बिक्री एवं मूल्य का निर्धारण करना । अंधे,गूंगे,बहरे,असहाय लोगों के लिए शिक्षा चिकित्सा ,आवास ,भोजन इत्यादि की व्यवस्था करना विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों यथा व्यवहारिक प्रायोगिक कला ,वाणिज्यक वैज्ञानिक ,क्रीडा ,मार्शल आर्ट ,संगीत ,तकनीकी ,सामाजिक ,आधुनिक ,भाषा अंग्रेजी ,उर्दू ,कम्प्यूटर प्रोफेशनल आदि विषयों का विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना । विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र-छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन ,अध्यापन आवास आदि सुविधाओं का व्यवस्था करना । पुस्तको साहित्य,पत्रों पाठ्यक्रमों आदि का सृजन सम्पादन प्रकाशन,मुद्रण वितरण आदि कर सकना । सांस्कृतिक कार्यक्रम ,पर्यावरण कार्यक्रम ,एड्स कार्यक्रम ,अधिवेशन , गोष्ठियों सम्मेलन प्रतियोगिताएं ,बैठकें,विशेष कक्षाएं सत्र प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि आयोजित कर सकना । सिलाई ,कढ़ाई ,बुनाई ,स्किन प्रिंटिंग आदि की शिक्षा एवं व्यवस्था करना ।

कमरा:.....4

वरुणेंद्र प्रताप सिंह

मुख्य कार्यकर्ता
सुवर्ण कार्यकर्ता
उपनिदेशक

श्री ० अनवर अन्सारी पढ़ने वाला.....
श्री ० सुजना सुनने वाला.....
उपनिदेशक.....

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु. 10

TEN
RUPEES

Rs. 10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

-4-

12AC 033949

19. व्यक्ति विशेष अन्य सोसायटी ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडिकल कॉलेजों, विधि महाविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेजों को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित एवं उनको इस ट्रस्ट में समायोजित कर सकना ।
20. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, संस्थाओं व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना ।
21. विधि सम्मति उपयोगी जानकारी का प्रचार-प्रसार कर सकना ।
22. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार व प्रसार कर सकना ।
24. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास कर सकना एवं पर्यावरण सुधार हेतु जानकारी दे सकना एवं सेमिनार कर सकना ।
25. एड्स के बारे में जनजागरण करने हेतु प्रचार-प्रसार कर सकना ।
26. पुस्तक, पुस्तिकाएं, पत्र, पत्रिकाएं समाचार-पत्र आदि को प्रकाशित, सम्पादित वितरित व विक्रय कर सकना ।
27. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के लिए समुचित शुल्क/मुल्य/निर्धारित करना तथा प्राप्त करना ।
28. पत्राचार द्वारा अध्यापन, अध्ययन को प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्संबंधित आवश्यक व्यवस्था कर सकना ।
29. उपरोक्ता अधिकार पर्यावरण सुधार ऊसर सुधार जैसे सामाजिक दायित्व के विषयों पर जन चेतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना ।
30. धार्मिक स्थलों का निर्माण व जीर्णोद्धार कर सकना ।
31. जनकल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर सकना तथा कियान्वयन कर सकना ।
32. विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय सहायता, स्मृति चिन्ह आदि प्रदान कर सकना ।

कमरा:.....5

वक्रपेण्डु प्रताप सिंह

मौ० आवर अन्तरी पढ़ने वाला...
शरीरु...
उपनिबन्ध...

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 433193

- 5 -

33. विभिन्न संस्थाओं/विद्यालयों/महाविद्यालयों/मेडिकल कालेज/इंजीनियरिंग कालेजों प्रतिष्ठानों के विशेषाधिकार प्राप्त कर सकना तथा अपने विशेषाधिकार अन्य को प्रदान कर सकना ।
34. ट्रस्ट के कोष एवं सम्पदा में वृद्धि करना, विनियोजित करना तथा उसका ट्रस्ट के उद्देश्यों में प्रयोग करना ।
35. ट्रस्ट जन सामान्य के द्वितीय कार्य करेगा । ट्रस्ट यथा सम्भव अपनी सेवाएं /वस्तुएं लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा । ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क खडन्जा तालाबों का निर्माण, मछली पालन, पशुपालन आदि का कार्य एवं प्रचार कर सकना ।
36. ट्रस्ट केवल वित्तीय लाभ के लिए ही कार्य नहीं करेगा जन कल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा ।
37. ट्रस्ट अपने समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही व्यय करेगा
38. किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु पाली क्लिनिक का निर्माण करना ।
39. किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु नवीन बीजों की जानकारी देना । फल एवं औषधि खेती के विषय में जानकारी देना एवं उत्पादन किये गये माल का आयात व निर्यात करना ।
40. संगठन को मजबूत एवं क्रियाशील बनाने के लिए जिला प्रदेश देश स्तर पर पदाधिकारियों का चयन करना एवं अधिकार देना ।
41. दलित पिछड़ों अल्प संख्यकों का संगठन बनाकर समाज में फौली बुराईयों को दूर करना एवं सामाजिक स्तर, राजनैतिक स्तर, आर्थिक स्तर को मजबूत बनाना ।
42. धरना, प्रदर्शन कार्यक्रम, गोष्ठी, सम्मेलन, सेमीनार, वार्षिक अधिवेशन के माध्यम से अपनी बात शासन प्रशासन तक पहुंचाना ।
43. शिक्षण व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए हास्टलों का निर्माण करना ।
44. सविमान के तहत मानवाधिकार एवं उसके नियम क्रिया-कलापों के बारे में जानकारी प्रदान करने की कार्य प्रणाली को विकसित करना ।

क्रमशः.....6

वरुणानंद प्रताप सिंह

उत्तर प्रदेश
संस्कृत
विभाग

४



मैक अंकित अक्षरों में लिखें
संविधान संशोधन विभाग
नया दिल्ली

४

भारतीय गैर न्यायिक



UTTAR PRADESH

AP 433195

-6-

प्रमाण में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत के दिनांक से वरुणेंद्रप्रताप सिंह जो कि न्यासकर्ता एवं न्यास लिख के रचयिता भी है को इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष सुनिश्चित किया जाता है । यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष वरुणेंद्रप्रताप सिंह द्वारा रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्री कर सुनिश्चित न की जाय तो वरुणेंद्रप्रताप सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारी ही इस ट्रस्ट के ट्रस्टी होंगे ।

मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही जब चाहे अपना उत्तर दायित्व अपने उत्तराधिकारी को स्थानान्तरित कर सकते हैं ।

ट्रस्टी/अध्यक्ष पद का उत्तराधिकारी- / हस्तान्तरण

मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन काल में अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष की व्यवस्था कर दे ।

मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष का पद किसी अन्य व्यक्ति को अधिकतम एक वर्ष के लिए प्रदान कर सकता है ।

किसी भी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो कि इस ट्रस्ट डीड के मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष के प्रदत्त किया गया ।

मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा न कर पाने एवं व्यवस्था करने से होने वाली अवस्था में मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष पद पर आसिन व्यक्ति का व्यक्तिगत उत्तराधिकारी ही ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष बनेगा । कोई असुविधा होने पर उत्तराधिकार के निर्णय की व्यवस्थाओं से मार्ग दर्शन प्राप्त किया जा सकता है ।

मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को चाहिए की वह अपने उत्तराधिकार मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष लिखित रूप में अपने हस्ताक्षर कर के व्यक्त कर दें । मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड कराके अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी सुनिश्चित कर सकता है इस सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट करना है कि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने जीवन काल के अन्तिम में की गई वसीयत /इच्छा /व्यवस्था ही अन्तिम रूप से मान्य होगी ।

कमरा.....7

वरुणेंद्र प्रताप सिंह

मौ० जन्म अन्तरी पक्ष काला.....
शरीरकर्म का हुकी काला.....
उपनिवेशक.....

मौ० जन्म.....
शरीरकर्म का हुकी काला.....
उपनिवेशक.....

भारतीय गैर न्यायिक



प्रदेश UTTAR PRADESH

AP 433194

-7-

कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष तभी अपने उत्तराधिकारी हस्तान्तरण विषय पर विचार एवं पुनः विचार करने हेतु स्वतन्त्र है जब तक कि वास्तविक रूप से कार्य भार अपने उत्तराधिकारी को न प्रदान कर दें ।

कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया , कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण माना जायेगा ।

4) बोर्ड आफ ट्रस्टीज -

यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यदि उचित समझे तो विषयों पर विचार विमर्श एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है, जिसमें अधिकतम 09 सदस्य होंगे ।

यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा । ट्रस्टी की कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही बिना किसी को कोई कारण बताएं ट्रस्टी के पद से हटा सकता है ।

यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष जब भी उचित समझे बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक आयोजित कर सकता है, जिसकी अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष स्वयं करेगा ।

यह कि बोर्ड आफ उन्हीं विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा जिनको कि मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।

यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा किये गये सुझाव को मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है । इस सन्दर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, के द्वारा लिया गया ,निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा ।

कमरा:..... 8

बहुतेलु प्रताप सिंह

मो० अन्तर अन्तरी पढ़ने वाला.....

शरीरपुस्तक सुनने वाला.....

उपनिदेशक.....

Handwritten signature and initials.

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
₹. 10

TEN
RUPEES

Rs. 10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH - 8 -

21/AC 811451

(5) अध्यक्ष / मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्यालय एवं सुविधाएं :-

1. यह कि अध्यक्ष / ट्रस्टी को ट्रस्ट द्वारा विभिन्न सुविधाओं से युक्त कार्यालय एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इन सुविधाओं के स्तर को सुनिश्चित करने में मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा।
2. यह कि ट्रस्टी / अध्यक्ष अपना उत्तरदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक मानदेय / भत्ते आदि पर कोई आयकर लगता है तो ट्रस्टी / अध्यक्ष स्वयं अपनी प्राप्त आय से ही आयकर का भुगतान करेगा। ट्रस्ट इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(6) कार्य क्षेत्र :-

ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष होगा सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष से सहायता एवं राय प्राप्त कर सकता है। अथवा सहायता व राय दे सकता है।

(7) मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष का विशेषाधिकार :-

मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी / कर्मचारी द्वारा लिए गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त / स्वीकृत / अस्वीकृत संशोधित कर दे। मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष, ट्रस्ट के कार्य-कलापो में किसी भी हस्त पर कोई भी दिशा निर्देश दे सकता है। जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा।

(8) सचिव / उप सचिवों की नियुक्ति :-

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्या को करने एवं देखभाल करने के लिए ट्रस्ट के लिए एक सचिव आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उप सचिवों की नियुक्ति कर सकेगा।

2. यह कि सचिव / उप सचिवों के वेतन, भत्ते सुविधाएं, कार्य नियम, मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेंगे।

कमरा:.....9

वरुणेंद्र प्रताप सिंह

मै० अमर अन्सारी पढ़ने वाला.....
सचिव/उप सचिव पढ़ने वाला.....
उपनिधायक.....

सचिव/उप सचिव पढ़ने वाला.....
उपनिधायक.....

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

₹.10



TEN
RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-9-

21AC 811452

3 यह कि उक्त सचिव/उपसचिव मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष किसी भी समय बिना कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक विधिक/आवश्यकता अनुशासनात्मक/प्रशंसनात्मक कार्यवाही कर सकता है। अथवा उक्त पदों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है।

9) उपाध्यक्ष की कि नियुक्ति :-

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्य को करने व देखभाल करने के लिए एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति एवं आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम दो उपाध्यक्ष की नियुक्ति कर सकेगा।

2. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों के वेतन भत्ते सुविधाएं कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेंगे।

3. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों, मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष किसी भी समय बिना किसी को कोई कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक अनुशासनात्मक, प्रशंसनात्मक कार्यवाही कर सकता है। अथवा उक्त पदों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित प्रदान कर सकता है।

10) अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :-

यह कि ट्रस्ट डीड के अन्तर्गत अध्यक्ष/ट्रस्टी को प्राप्त विभिन्न अधिकार एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त अध्यक्ष/ट्रस्टी के निम्न अधिकार एवं कर्तव्य भी होंगे :-

(क) बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।

(ख) ट्रस्ट के समस्त कार्यों का उत्तरदायी ढंग से देख-रेख करने के लिए उपाध्यक्ष सचिव उप सचिवों की नियुक्ति करना।

(ग) इस ट्रस्ट डीड में उल्लिखित ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियावली में संशोधन/परिवर्तन कर सकना जो कि रजिस्ट्रार के यहां रजिस्ट्रीकृत होने की दिनांक से मान्य होगा।

कमरा:.....10

वरुणेंद्र प्रताप सिंह

मो० अन्वर अन्सारी पढ़ने वाला.....

शरीफुद्दीन मुन्ने वाला.....

उपनिर्वाहक.....

2

रजि. नं०.....

द्वारा जारी.....

दिनांक.....

8

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु. 10

TEN
RUPEES

Rs. 10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

UTTAR PRADESH

21AC 811453

-10-

(11) उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य-

अध्यक्ष / ट्रस्टी की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की लिखित अनुमति से अध्यक्ष द्वारा बताये गये विषय पर विचार विमर्श हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना परन्तु उपाध्यक्ष बिना अध्यक्ष की अनुमति के कोई निर्णय नहीं ले सकता।

(12) सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :-

ट्रस्ट के समस्त कार्यों के लिए ट्रस्ट का सचिव अन्तिम रूप से कार्यरत एवं उत्तरदायी है।

ट्रस्ट के सचिव के निम्न कर्तव्य एवं अधिकार हैं :-

1. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही करना।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत होने वाले सभी कार्यकलापों एवं दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों पर नियन्त्रण रखना।
3. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित कार्यों हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति, पद मुक्त तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक प्रशंसनात्मक कार्यवाही करना।
4. विभिन्न कार्यकलापों उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु कोषों/विभाग केंद्रों/संस्थाओं/उप संस्थाओं का गठन कर सकना तथा उनके संयोजकों/निदेशकों, पदाधिकारियों आदि की संचालन हेतु आवश्यकतानुसार नियम/उपनियम बना सकना।
5. ट्रस्ट संख्या को प्राप्त किसी शिकायत की जांच निर्णयक नियुक्त कर सकना।
6. एक से अधिक विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त होने की दशा में उनका कार्य विभाजन कर सकना।
7. प्रचार/प्रसार/मुद्रण/प्रकाशन/वितरण/विक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना।
8. जन सामान्य के कल्याणार्थ विभिन्न आयोजनों को कर सकना।

(13) सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1. सचिव की अनुपस्थिति में उनके पद के अधिकार एवं कर्तव्य का पालन करना।
2. सचिव द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत करने पर उनके अधिकारों/कर्तव्यों का पालन करना जो उनको लिखित रूप से प्राप्त है।
3. सचिव द्वारा लिखित रूप से कार्यभार/कर्तव्यों का पालन करना। कमरा.....11

वरुणेन्द्र प्रताप शर्मा

मो० अनवर अहमदी

शरीफपुरा


उपनि

सचिव

सचिव

सचिव

2-12
 27/2/2015



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

21AC 811456

उक्त न्यास विलेख एवं उसमें सन्निहित बाबू भगवान सिंह मेमोरियल ट्रस्ट तिघरा अ० न० के उद्देश्य एवं नियमावली एतद्वारा अधिनियमित घोषित स्वीकृत आत्मार्पित एवं तत्काल से कार्यान्वित की जाती है। कि उक्त न्यास विलेख को पढ़कर एवं समझ कर व्यवहार में लाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिये गये।

टंकणकर्ता

अशोक कुमार यादव

अशोक कुमार यादव
 साप - बलरामपुर
 पता - जलालपुर
 तमिः - अजयपुर नगर

साक्षिगण :-

नाम : मु० मुन्दाय्यां पुत्र मु० इन्दाराम

पता : नि० गोपरी चाव पुटपर सुहुलपुती जलालपुर

वरुणेन्द्र प्रताप सिंह

(संस्थापक/अध्यक्ष)

नाम : धुजेन्द्र कुमार सिंह

बाबू भगवान सिंह मेमोरियल ट्रस्ट

पता : इ० न० जलालपुर

तिघरा अ० न०

दिनांक :-

मसविदाकर्ता

वरुणेन्द्र प्रताप सिंह

रुपये साक्षात्
 रुपये साक्षात्
 रुपये साक्षात्

मौ० अनवर अन्तारी पदवी
 शरीफुल्लाह सुलेमान
 उपनिर्देशक

भारतीय नैऋत्यायिक

दस
रुपये

रु.10



TEN
RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

21AC 811454

-11-

(14) बैंक एकाउन्ट :-

1. ट्रस्ट का खाता किसी भी बैंक में खोला जा सकेगा। मैनेजिंग ट्रस्टी अन्तर्गत खाता खोला जा सकता है। अथवा संचालित किया जा सकता है।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान/केन्द्र/कार्यक्रम इकाई कार्यालय का पृथक नाम से बैंक खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है। इस स्थिति में स्वयं ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अन्तर्गत बैंक खाता खोला जा सकता है अथवा संचालित किया जा सकता है।

(15) विधिक कार्यवाही :-

1. यदि संस्था/ट्रस्ट की तरफ से कोई भी कार्यवाही की जाती है। या उसके विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो सचिव अध्यक्ष की अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्त एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी या अन्य किसी को अधिकृत कर सकता है।

(16) सम्पत्ति सम्बन्धी :-

1. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकृत रखता है जो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त होते हैं।
2. ट्रस्ट चल की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से कोई भी निर्णय लेने/लेख विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।
3. ट्रस्ट का अध्यक्ष ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी लेख विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है।

कमरा:12

वरुणेन्दु प्रताप सिंह

सचिव
वरुणेन्दु प्रताप सिंह

मो० जनवर २०१६
वरुणेन्दु प्रताप सिंह

भारतीय गैर न्यायिक



INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

21AC 811455

1. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति कय-विकय कर सकता है। रेहन रख सकता है। किराये पर दे सकता है। ले सकता है।
 2. ट्रस्ट किसी से ऋण, दान, उपहार, आग्रह, भेट सम्मान पुरस्कार, स्मृत चिन्ह मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है।
 3. ट्रस्ट धन को कहीं भी विनियोजित कर सकता है। सुरक्षित कर सकता है। किसान बक, संस्था, कम्पनी आदि की किसी योजना में धन/सम्पत्ति का विनियोजन कर सकता है।
 4. चल/अचल सम्पत्ति की प्रत्येक भाड़ा कय अनुज्ञप्ति बन्धक भारतीय गिरवी, विमाजित आदि कर सकता है/ले सकता है दे सकता है।
- (17) विशेष :-

(क) इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित/कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/ कार्यक्रम /ईकाई/कार्यालय/संस्था उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम उपनियम बनाये जा सकते हैं। परन्तु यदि वह इस डीड ऑफ ट्रस्ट बाबू भगवान सिंह मेमोरियल ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली के किसी भी प्राविधान का अतिक्रमण करते हैं तो वह नियम या उपनियम अतिक्रमण की सीमा तक शून्य होंगे।

ख) अध्यक्ष/ट्रस्टी यदि उचित समझे तो किसी/किन्हीं परिस्थितियों में इस ट्रस्ट डीड के किसी/ किन्हीं प्राविधानों/को शिथिल कर सकते हैं। तथा प्राविधान/प्राविधानों के होते हुए भी अन्यथा निर्णय ले सकते हैं। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष का विवेक व्यवस्था ही अन्तिम होगी। (इस धारा के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा की गयी किसी भी कार्यवाही को कहीं भी किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। बाबू भगवान सिंह मेमोरियल ट्रस्ट की

कमरा:13

व.रुपेन्द्र प्रताप सिंह

मो० जनरल सचिवी कार्यालय
राज्यपाल कार्यालय
उत्तर प्रदेश
२



21AC 811459

बाबू भगवान सिंह मेमोरियल ट्रस्ट तिघरा अम्बेडकर नगर
सदस्यगण की संख्या निम्न है-

क्र. सं.	नाम	पिता/पति	पता	पद
1.	प्रहिमा सिंह	वरुणेन्द्र प्रताप सिंह	ग्रा0- गोपरीचाँदपुर तिघरा अ0न0	उपाध्यक्ष
2.	अर्ध कुमारी	स्व. अम्बिका प्रसाद सिंह.	ग्रा.- गोपरीचाँदपुर तिघरा अ0न0	सचिव
3.	शशिकला देवी	संजय सिंह	ग्रा0 व पो0- टिकरा सीतापुर	उपसचिव
4.	कुसुम सिंह	अनिल कुमार सिंह	ग्रा0 व पो0- मोकलपुर जौनपुर	सदस्य
5.	शन्तनु कुमार सिंह	गोरखनाथ सिंह	ग्रा0- अटरिया पो0- गोपालापुर जौनपुर	सदस्य
6.	अनिल कुमार	नन्हकू सिंह	ग्रा0 व पो0- मोकलपुर जौनपुर	सदस्य

वरुणेन्द्र प्रताप सिंह

